

आदेशः

वन संरक्षक, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्र संख्या:08बी/यू0सी0पी0/06/286/2015/एफ0सी0/1498 दिनांक:20/02/2018 की शर्त संख्या:1,के अनुपालन में एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून के पत्र संख्या: 2933 देहरादून दिनांक: 22 फरवरी 2018 के क्रम में जनपद टिहरी गढ़वाल के क्षेत्रान्तर्गत ज्ञानसू-ग्वाड़-परसी-बुडोगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.1 हे० वन भूमि पर गैर वानिकी कार्यों के दृष्टिगत अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो०नि० विभाग चम्बा को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 4.20 हे० सिविल भूमि का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी टिहरी के पत्र संख्या: 309/र०का० (भूमि०ह०)-2018 दिनांक:11 सितम्बर 2018 के द्वारा भूमि प्रस्तावित की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

ग्राम	पट्टी	खाता सं०	खसरा सं०	यादित रक्वा(हे०मे)	भूमि की किस्म
1	2		3	4	5
ग्वाड़	सारज्यूला	14	01 56 120	3.152 0.836म० 0.212म०	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड. बंजर भूमि
				योग-4.20हे०	

प्रस्तावित ज्ञानसू-ग्वाड़-परसी-बुडोगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या:2882/XXIII(II)/11-18 (120)/2010 दिनांक: 11 नवम्बर 2011, एवं शासनादेश संख्या: 2365/XXIII(II)/13-18 (120)/2010 टी०सी० दिनांक: 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है।

अतएव शासनादेश संख्या:2173/XXIII(II)/2012-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग दिनांक: 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी टिहरी के द्वारा प्रस्तावित की गयी कुल रक्वा-4.20 हे० सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जम्मेदारी के दृष्टिगत वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अन्तरित की जाती है। तहसीलदार टिहरी उक्त भूमि का राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या: 373/XXVI-38(2017-2018) दिनांक नई टिहरी सितम्बर 20, 2018

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1:-सचिव वन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2:-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद देहरादून।
- 3:-आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 4:-नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तान्तरण वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5:-प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी।
- 6:-अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो०नि० विभाग चम्बा, टिहरी गढ़वाल।
- 7:-उप जिलाधिकारी टिहरी।
- 8:-तहसीलदार टिहरी।

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

सहायक अभियन्ता,
नि०ख०, लो०नि० वि०
चम्बा

पसली वर्ष १५२१ से १५२६ फसली तक

कार्म प्रपत्र सं० प-११

[illegible]